Bill No. 24 of 2019

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) BILL, 2019

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In clause (aa) of sub-section (1) of section 2 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), hereinafter in this Act referred to as the principal Act, the existing expression "telephone facility," shall be deleted.

3. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 3 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1),-

(i) in clause (a), for the existing expression "fifty thousand rupees", the expression "seventy thousand rupees" shall be substituted; and

(ii) in clause (b), for the existing expression "forty five thousand rupees", the expression "sixty five thousand rupees" shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019" shall be substituted.

4. Amendment of section 3-A, Rajasthan Act No. 6 of 1957. - In section 3-A of the principal Act,-

(a) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019" shall be substituted; and

(b) for the existing expression "fifty thousand rupees", the expression " eighty thousand rupees" shall be substituted.

5. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 4 of the principal Act, for the existing expression "twenty five thousand rupees per mensem with effect from 1st April, 2017", the expression "forty thousand rupees per mensem with effect from 1st April, 2019" shall be substituted. `

6. Amendment of section 4-A, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (1) of section 4-A of the principal Act,-

(a) for the existing expression "1st April, 2017", the expression "1st April, 2019" shall be substituted; and

(b) for the existing expression "rupees twenty five thousand", the expression "rupees thirty five thousand " shall be substituted.

7. Amendment of section 4-D, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 4-D of the principal Act,-

(a) for the existing expression “1st April, 2017”, the expression “1st April, 2019” shall be substituted ;

(b) for the existing expression “rupees fifty thousand”, the expression “rupees one lakh ” shall be substituted; and

(c) for the existing punctuation mark “.”, appearing at the end, the punctuation mark “:” shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:-

“Provided that if the total amount of reimbursement received in a financial year under this section is less than one lakh rupees, the amount by which the amount of reimbursement is less than one lakh rupees shall be carried forward for one financial year and the whole amount remained unutilised at the end of second financial year shall stand lapsed.”.

8. Insertion of new section 4-E, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- After the existing section 4-D and before the existing section 5 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

“**4-E. Travelling facility to the spouse of the Ex-member.-** The spouse of a deceased Ex-member shall be provided one hundred travelling passes per annum which would entitle her/him to travel by the Rajasthan State Road Transport Corporation service on whichever route it operates in such class of accommodation and subject to such conditions as may be prescribed by the rules made in this behalf.”.

9. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 5 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1),-

(i) for the existing expression “1st April, 2017”, the expression “1st April, 2019”;

(ii) for the existing expression “forty five thousand rupees”, the expression “sixty five thousand rupees”; and

(iii) for the existing expression “forty two thousand rupees”, the expression “sixty two thousand rupees”,

shall be substituted; and

(b) in sub-section (2),-

(i) for the existing expression “1st April, 2017”, the expression “1st April, 2019”; and

(ii) for the existing expression “to the Government Chief Whip and Deputy Government Chief Whip, a sumptuary allowance of fifty thousand rupees per mensem”, the expression “ a sumptuary allowance of eighty thousand rupees per mensem to the Government Chief Whip and a sumptuary allowance of seventy thousand rupees per mensem to the Deputy Government Chief Whip”,

shall be substituted.

10. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (1) of section 6 of the principal Act,-

(a) for the existing expression “1st April, 2017”, the expression “1st April, 2019”;

(b) for the existing expression “salary of forty five thousand rupees”, the expression “salary of sixty five thousand rupees”; and

(c) for the existing expression “sumptuary allowance of fifty thousand rupees”, the expression “sumptuary allowance of eighty thousand rupees”,

shall be substituted.

11. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the principal Act,-

(a) for the existing expression “one thousand five hundred rupees”, the expression “two thousand rupees”; and

(b) for the existing expression “one thousand seven hundred fifty rupees”, the expression “two thousand five hundred rupees”,

shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2019.

12. Amendment of section 8-B, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In the existing section 8-B of the principal Act ,-

(a) in sub-section (1), for the existing expression “rupees two lakh”, the expression “rupees three lakh” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2019;

(b) in sub-section (2), for the existing expression “rupees two lakh” wherever occurring, the expression “rupees three lakh” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2019; and

(c) in proviso to sub-section (3), for the existing expression "rupees two lakh", the expression "rupees three lakh" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2019.

13. Amendment of section 8-C, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (1) of section 8-C of the principal Act, for the existing expression "fifty thousand", the expression "seventy thousand" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2019.

14 . Insertion of new section 8-E, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- After the existing section 8-D and before the existing section 9 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**8-E. Telephone allowance to members.-** With effect from 1st April, 2019, there shall be paid to every member a telephone allowance of two thousand five hundred rupees per mensem.".

15. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- For the existing clause (iii) of the Explanation of sub-section (1) of section 9 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(iii) reimbursement of expenditure on furniture to the extent of eighty thousand rupees to a member residing at Jaipur in the Government accommodation or in the accommodation owned or hired by him with effect from 1st April, 2019 or from the date of occupation of such accommodation, whichever is later, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by rules made in this behalf.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Looking to the rise in prices, the existing salary, allowances and facilities provided to the members and officers of the Rajasthan Legislative Assembly and pension and facilities of the pensioner members appear to be inadequate, therefore, it is proposed to amend sections 2, 3, 3-A, 4, 4-A, 4-D, 5, 6, 8, 8-B, 8-C and 9 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 for the purpose of making suitable increase in salary, allowances, pension and facilities etc. Two new sections viz. section 4-E and section 8-E are proposed to be inserted in the aforesaid Act so as to provide travelling facility to the spouses of Ex-Members and telephone allowance to the members.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

शांति कुमार धारीवाल,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपिः संख्या प.2 (39) विधि/2/2019 जयपुर, दिनांक 05 अगस्त, 2019 प्रेषकः श्री शांति कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2019 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill seeks to amend sections 2, 3, 3-A, 4, 4-A, 4-D, 5, 6, 8, 8-B, 8-C and 9 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 and to insert two new sections 4-E and 8-E. These amendments shall involve a recurring expenditure of about rupees 29,36,00,000 /- per annum.

शांति कुमार धारीवाल,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 8 of the Bill, which seeks to insert section 4-E, shall, if enacted, empower the State Government to make rules to prescribe the conditions subject to which, travelling facility to the spouse of the Ex-member shall be provided.

Clause 16 of the Bill, which seeks to substitute clause (iii) of the Explanation of sub-section (1) of section 9, shall, if enacted, empower the State Government to make rules to prescribe the manner in which, and conditions subject to which, reimbursement of expenditure on furniture shall be made.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

शांति कुमार धारीवाल,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) ACT, 1956

(Act No. 6 of 1957)

XX XX XX XX XX XX XX

2. Interpretation.- (1) In this Act, unless the subject or context otherwise requires,-

(a) xx xx xx xx xx xx

(aa) "Constituency Allowance" means an allowance to meet personal office expenses incurred by a member in his constituency in the performance of duties of the office of the member and expenses incurred by a member on account of telephone facility, correspondence and consumption of electricity and water.

(aaa) to (e) xx xx xx xx xx xx

(2) xx xx xx xx xx xx

3. Salaries of Officers.- (1) There shall be paid-

(a) a salary of fifty thousand rupees per mensem to the Speaker, and

(b) a salary of forty five thousand rupees per mensem to the Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the State.

(2) The salary fixed by sub-section (1) shall be payable to the Speaker or Deputy Speaker, as the case may be, with effect from 1st April, 2017 or with effect from the date on which he is chosen as such Speaker or Deputy Speaker under Article 178 of the Constitution whichever may be later, and until he vacates or resigns or is removed from his office as such Speaker or Deputy Speaker in accordance with law.

3-A. Sumptuary Allowance.- In addition to the salary payable under section 3, there shall be paid, with effect from 1st April, 2017 to the Speaker and the Deputy Speaker of the

Legislative Assembly, a sumptuary allowance of fifty thousand rupees per mensem.

4. Salaries of Members.- Every member of the Legislative Assembly of the State shall be entitled to receive a salary of twenty five thousand rupees per mensem with effect from 1st April, 2017 or with effect from the date on which the declaration of the result of his election to the Rajasthan Legislative Assembly is published in the Official Gazette under section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (Central Act 43 of 1951), whichever may be later, until he ceases to be such member:

Provided that no member shall claim such salary unless he makes and subscribes the oath or affirmation of his office under Article 188 of the Constitution :

Provided further that such salary shall be liable to such deductions for continued absence or other cause as may be provided in the rules made by the State Government in this behalf.

4-A. Pension and other facilities.- (1) With effect from 1st April, 2017 there shall be paid to every person, who has served as a member of the Rajasthan Legislative Assembly for any period upto five years, whether continuous or not, a pension of rupees twenty five thousand per mensem and an additional pension of rupees one thousand six hundred per mensem for every year or part thereof, whether continuous or not, beyond the aforesaid period of five years:

Provided that no such pension shall be paid to any person for the period during which such person was or is in receipt of any salary as Member of Parliament or any State Legislature or from any State Government or the Central Government, or any Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or any local authority and if any such salary was or is received the payment of pension shall be suspended for that period:

Provided further that the salary or remuneration payable to such person for being such member or for holding such office or being so employed, is in any case less than the pension payable to him under this section, such person shall be entitled only to receive the balance as pension under this section:

Provided also that pension payable to a person under this section shall be increased by twenty percent if he has attained the age of seventy years and shall be increased by thirty percent if he has attained the age of eighty years.

Explanation I.- In computing the number of years for the purposes of determining pension under this section, the period during which a person has served as a Minister or as an officer as defined in this Act, or both, by virtue of his membership of the Rajasthan Legislative Assembly shall be taken into account.

Explanation II.- If the Legislative Assembly is dissolved before the expiration of the period of five years, for the purpose of computing the period as Member of the Legislative Assembly the period commencing with the date of the constitution of the Legislative Assembly after the General Election and ending with the date of dissolution, shall be deemed to be five years.

Explanation III.- For the purpose of this section, salary includes salary received under this Act and salary received as:-

(i) the President or Vice-President or Governor of any State or the Administrator of any Union Territory; or

(ii) a Member of the Parliament or any State Legislature; or

(iii) a Minister or Deputy-Minister of the Government of India or any State; or

(iv) the Chairman or Deputy-Chairman of the Council of States, or the Legislative Council of any State; or

(v) the Speaker or Deputy-Speaker of the House of the People, or of the Legislative Assembly of any State.

Explanation IV.- In computing the amount of pension payable to any person under this section, the amount of pension received by him under the Rajasthan Freedom Fighters Aid Rules, 1959 or under any other rules made on the same subject shall not be taken into account.

Explanation V.- In computing the number of years for the purpose of determining pension under this section with respect to a

person who is elected to the Legislative Assembly in a bye-election, the period commencing with the date on which such person takes oath of his membership and ending with the date of dissolution of the Assembly shall be deemed to be five years.

(2) to (3) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

4-D. Free travelling facility to Ex-members.- With effect from 1st April, 2017, every person, who has served as a member of the Rajasthan Legislative Assembly shall be entitled to receive reimbursement of actual fare of any journey undertaken by him, either alone or with persons accompanying him, within the territory of India in any class of railway, air, ship or steamer, subject to a maximum limit of rupees fifty thousand in a financial year, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by rules made in this behalf.

5. Salaries of Government Chief Whip and Deputy Government Chief Whip.- (1) There shall be paid, with effect from 1st April, 2017 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, whichever may be later, a salary of forty five thousand rupees per mensem to the Government Chief Whip and a salary of forty two thousand rupees per mensem to the Deputy Government Chief Whip.

(2) In addition to the salary payable under sub-section (1) there shall be paid, with effect from 1st April, 2017 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, whichever may be later, to the Government Chief Whip and Deputy Government Chief Whip, a sumptuary allowance of fifty thousand rupees per mensem.

Explanation.- For the purpose of this section "Government Chief Whip" or "Deputy Government Chief Whip" means that member of the Rajasthan Legislative Assembly who is Chief Whip or Deputy Chief Whip for the time being in the Assembly of the party in Government having the greatest numerical strength in that Assembly.

(3) xx xx xx xx xx xx

6. Salary and Sumptuary Allowance of Leader of the Opposition.- (1) There shall be paid to the Leader of the Opposition, with effect from 1st April, 2017 or with effect from the date on which he may thereafter enter upon his office, whichever may be later, a salary of forty five thousand rupees and a sumptuary allowance of fifty thousand rupees per mensem.

Explanation.- (i) In this Act "Leader of the Opposition" means that member of the Rajasthan Legislative Assembly who is, for the time being, the Leader in that Assembly of the party in opposition to the Government having the greatest numerical strength in that Assembly and recognized as such by the Speaker.

(ii) Where there are two or more parties in opposition to the Government having the same numerical strength, the Speaker shall, having regard to the status of the parties, recognize any one of the leaders of such parties as the Leader of the Opposition for the purposes of this Act and such recognition shall be final and conclusive.

XX XX XX XX XX XX XX

8. Allowances of members.- (1) Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, every member of the Legislative Assembly shall be entitled to receive, for his attendance required in connection with his duties, as such member, –

(a) travelling allowance at the prescribed rates in accordance with rules made in that behalf, and

(b) daily allowance at the rate of one thousand five hundred rupees per day within the State and one thousand seven hundred fifty rupees per day outside the State subject, however, that such allowance

shall not be admissible for such period as is in excess of fifteen days in a calendar month except when the Legislative Assembly is in session:

Provided that no sum on account of any such allowance shall be paid to a member before he has made and subscribed the oath or affirmation of his office prescribed by Article 188 of the Constitution:

Provided further that until rates are prescribed under clause (a), travelling allowances shall be payable thereunder to the members of the Legislative Assembly at the rates admissible to Government servants of the first class.

(2) to (4) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

8-B. Free Railway travelling facilities to Members.- (1) Every member shall be entitled to receive reimbursement of actual fare of any journey undertaken by him, either alone or with persons accompanying him, within the territory of India in any class of railway, air, ship or steamer, subject to a maximum limit of rupees two lakh in a financial year, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by rules made in this behalf.

(2) Where the total amount of reimbursement received in a financial year under sub-section (1) is less than rupees two lakh, the amount by which the amount of reimbursement is less than two lakh shall be carried forwarded in next financial year or years and the member shall be entitled to utilize such amount at any time before expiry of his term as member.

(3) Where a Member entitled to receive travelling allowance under section 8, chooses to travel by air, ship or steamer, he shall be entitled to surrender such part of the facility provided by sub-section (1) as is equivalent to the difference between the air, ship or steamer fare actually paid by him and the railway fare to which he is entitled under that section and receive the cash equivalent of the facility so surrendered:

Provided that aggregate amount so paid either as railway fare or in respect of air, fare or as the difference between the air

fare and the railway fare or as or in respect of any of them shall not exceed rupees two lakh within a financial year.

Explanation.- For the purposes of this section, a member shall include a Minister as defined in the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956 (Act No. 43 of 1956) and an Officer of the Legislative Assembly for the State as defined in this Act.

8-C. Constituency Allowance.- (1) A member shall be entitled to receive the Constituency Allowance of rupees fifty thousand per month.

(2) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

9. Amenities.- (1) Every member of the Legislative Assembly shall be entitled to such medical facilities for himself and for members of his family and to such housing facilities as may be prescribed.

Explanation.- For the purpose of sub-section (1), housing facility shall include-

(i) to (ii-b) xx xx xx xx xx xx

(iii) supply of furniture worth eighty thousand rupees, free of charge, to members residing at Jaipur in the Government accommodation or in the accommodation owned or hired by them with effect from 1st April, 2012 or from the date of occupation of such accommodation, whichever is later.

(2) and (3) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

2019 का विधेयक सं. 24

¼प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद½

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6), जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (कक) में विद्‌यमान अभिव्यक्ति "टेलीफोन प्रसुविधा," हटायी जायेगी।

3. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 3 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 3 में,-

(क) उप-धारा (1) में,-

(i) खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सत्तर हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पैंतालीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पैंसठ हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 3-क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 3-क में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अस्सी हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" और विद्यमान अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चालीस हजार रुपये प्रतिमास" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-क की उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये की पेंशन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पैंतीस हजार रुपये की पेंशन" प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-घ का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-घ में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ग) अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यदि इस धारा के अधीन किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त पुनर्भरण की कुल रकम एक लाख रुपये से कम हो तो एक लाख रुपये के पुनर्भरण की रकम से कम रह गई रकम एक वित्तीय वर्ष के लिए अग्रनीत की जायेगी और द्वितीय वित्तीय वर्ष के अंत में बची हुई अप्रयुक्त सम्पूर्ण रकम व्यपगत हो जायेगी।"।

8. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 में नयी धारा 4-ङ का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4-घ के पश्चात् और

विद्‌यमान धारा 5 से पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**4-ङ. भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नी को यात्रा सुविधा.-** किसी मृतक भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नी को एक सौ यात्रा पास प्रतिवर्ष दिये जायेंगे जिससे वह, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवा द्‌वारा, किसी भी ऐसे मार्ग जिस पर वह चलती है, जगह की ऐसी श्रेणी में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसाकि इस निमित्त बनाये गये नियमों द्‌वारा विहित किया जाये, यात्रा करने का हकदार होगा।"।

9. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(क) उप-धारा (1) में,-

(i) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019";

(ii) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "पैंतालीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पैंसठ हजार रुपये"; और

(iii) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "बयालीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बासठ हजार रुपये",

प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) उप-धारा (2) में,-

(i) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "सरकारी मुख्य सचेतक और सरकारी उप मुख्य सचेतक को 1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019"; और

(ii) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "सरकारी मुख्य सचेतक और सरकारी उप मुख्य सचेतक को पचास हजार रुपये प्रति मास सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सरकारी मुख्य सचेतक को अस्सी हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता और सरकारी उप मुख्य सचेतक को सत्तर हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा",

प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 6 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) में,-

(क) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2017" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2019";

(ख) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "पैंतालीस हजार रुपये वेतन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पैंसठ हजार रुपये वेतन"; और

(ग) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये सत्कार भत्ता" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अस्सी हजार रुपये सत्कार भत्ता",

प्रतिस्थापित की जायेगी।

11. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में,-

(क) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "एक हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये"; और

(ख) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "एक हजार सात सौ पचास रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो हजार पांच सौ रुपये",

प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2019 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

12. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्‌यमान धारा 8-ख में,-

(क) उप-धारा (1) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "दो लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीन लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2019 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी;

(ख) उप-धारा (2) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "दो लाख रुपये", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीन लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2019 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी; और

(ग) उप-धारा (3) के परन्तुक में विद्‌यमान अभिव्यक्ति "दो लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीन लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2019 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

13. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8-ग का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 8-ग की उप-धारा (1) में विद्‌यमान अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सत्तर हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2019 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

14. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 में नयी धारा 8-ङ का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 8-घ के पश्चात् और विद्यमान धारा 9 से पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**8-ङ. सदस्यों को टेलीफोन भत्ता.-** प्रत्येक सदस्य को 1 अप्रेल, 2019 से दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिमास का टेलीफोन भत्ता संदत्त किया जायेगा।"।

15. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण के विद्यमान खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iii) जयपुर में सरकारी वास-सुविधा या अपने स्वामित्व वाली या उसके द्वारा किराये पर ली गयी वास-सुविधा में निवास करने वाले सदस्य को 1 अप्रेल, 2019 से या ऐसी वास-सुविधा के अधिभोग की तारीख से, जो भी बाद में हो, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसाकि इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित किया जाये, अस्सी हजार रुपये की सीमा तक के फर्नीचर पर व्यय का पुनर्भरण।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कीमतों में वृद्धि को देखते हुए, राजस्थान विधानसभा के सदस्यों और अधिकारियों को दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और सुविधाएं

और पेंशनभोगी सदस्यों की पेंशन और सुविधाएं अपर्याप्त प्रतीत होती हैं, इसलिए वेतन, भत्तों, पेंशन और सुविधाओं इत्यादि में यथोचित वृद्धि करने के प्रयोजन के लिए राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 की धारा 2, 3, 3-क, 4, 4-क, 4-घ, 5, 6, 8, 8-ख, 8-ग और 9 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। पूर्वोक्त अधिनियम में दो नयी धाराएं, अर्थात् धारा 4-ङ और धारा 8-ङ अंत:स्थापित की जानी प्रस्तावित हैं ताकि भूतपूर्व सदस्यों के पति/पत्नी को यात्रा सुविधा और सदस्यों को टेलीफोन भत्ता दिलवाया जा सके।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

शांति कुमार धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपिः संख्या प.2 (39) विधि/2/2019 जयपुर, दिनांक 05 अगस्त, 2019 प्रेषकः श्री शांति कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2019 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 की धारा 2, 3, 3-क, 4, 4-क, 4-घ, 5, 6, 8, 8-ख, 8-ग और 9 को संशोधित किये जाने और दो नयी धाराएं 4-ङ और 8-ङ अंत:स्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है। इन संशोधनों से लगभग 29,36,00,000/- रुपये प्रतिवर्ष का आवर्ती व्यय अन्तर्वलित होगा।

शांति कुमार धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 8, जो कि धारा 4-ङ को अंत:स्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो ऐसी रीति जिससे और शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए भूतपूर्व सदस्य के पति/पत्नी को यात्रा सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी, विहित करने के लिए नियम बनाने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 16, जो कि धारा 9 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण के खण्ड (iii) को प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो ऐसी रीति जिससे और शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए फर्नीचर पर व्यय का पुनर्भरण किया जायेगा, विहित करने के लिए नियम बनाने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

शांति कुमार धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

2. निर्वचन.- (1) जब तक विषय अथवा सन्दर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(क) XX XX XX XX XX

(कक) "निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता" से सदस्य के पद के कर्तव्यों के पालन में सदस्य द्वारा अपने निर्वाचन-क्षेत्र में उपगत वैयक्तिक पदीय व्ययों और सदस्य द्वारा टेलीफोन प्रसुविधा, पत्राचार और विद्युत और जल के मद्दे उपगत व्ययों की पूर्ति करने के लिए कोई भत्ता अभिप्रेत है;

(ककक) से (ङ) XX XX XX XX XX

(2) XX XX XX XX XX

3. अधिकारियों के वेतन.- (1) राज्य की विधानसभा के-

(क) अध्यक्ष को प्रति माह पचास हजार रुपये वेतन, तथा

(ख) राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को प्रति माह पैंतालीस हजार रुपये वेतन,

दिया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) द्वारा निर्धारित वेतन अध्यक्ष या, यथास्थिति, उपाध्यक्ष को, 1 अप्रेल, 2017 से या उस दिनांक से जिसको यह

संविधान के अनुच्छेद 178 के अधीन उक्त अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया हो, जो भी बाद में हो, और तब तक जब तक कि वह विधि के अनुसार उक्त अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का पद खाली नहीं करे अथवा नहीं त्यागे या उसे हटाया नहीं जाये, देय होगा।

3-क. सत्कार भत्ता.- धारा 3 के अधीन संदेय वेतन के साथ-साथ विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 1 अप्रेल, 2017 से पचास हजार रुपये प्रति मास का सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।

4. सदस्यों के वेतन.- राज्य की विधान सभा का प्रत्येक सदस्य 1 अप्रेल, 2017 से या उस तारीख से, जिसको राजस्थान विधान सभा के लिए उसके चुनाव के परिणाम की घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 67 के अधीन राज-पत्र में प्रकाशित की हो, जो भी बाद में हो, जब तक वह ऐसा सदस्य रहे तब तक पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा:

परन्तु कोई सदस्य जब तक वह संविधान के अनुच्छेद 188 के अधीन अपने पद की शपथ न ले ले या उसका प्रतिज्ञान कर दे और उन पर हस्ताक्षर न कर दे ऐसे वेतन का दावा नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि ऐसे वेतन में से सतत अनुपस्थिति या अन्य कारण से ऐसी कटौतियां की जा सकेंगी जिनका इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में उपबंध किया जाये।

4-क. पेंशन और अन्य सुविधाएं.- (1) 1 अप्रेल, 2017 से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो राजस्थान विधान सभा सदस्य के रूप में, निरन्तर या अन्यथा पांच वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, पच्चीस हजार रुपये की पेंशन और उपर्युक्त पांच वर्ष की कालावधि से अधिक निरंतर या अन्यथा प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए एक हजार छह सौ रुपये की अतिरिक्त पेंशन प्रति मास संदत्त की जायेगी:

परन्तु किसी भी व्यक्ति को ऐसी कालावधि के लिए ऐसी किसी पेंशन का संदाय नहीं किया जायेगा जिसके दौरान उसे संसद् या किसी भी राज्य विधान-मण्डल के सदस्य के रूप में या किसी भी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से कोई वेतन प्राप्त होता था या होता है और यदि ऐसा कोई वेतन प्राप्त होता था या होता है, तो उस कालावधि के लिए पेंशन का संदाय स्थगित रहेगा:

परन्तु यह और कि जहां ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसा सदस्य होने के कारण या ऐसे किसी पद धारण या इस प्रकार नियोजित होने के फलस्वरूप संदेय वेतन या पारिश्रमिक किसी भी दशा में इस धारा के अधीन उसे संदेय पेंशन से कम हो तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन पेंशन के रूप में केवल उनका अंतर प्राप्त करने का हकदार होगा:

परन्तु यह भी कि इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय पेंशन में, यदि उसने सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करली हो तो बीस प्रतिशत की वृद्धि, और यदि उसने अस्सी वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो तीस प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

स्पष्टीकरण I.- इस धारा के अधीन पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए वर्षों की संख्या संगणित करने में उस कालावधि को गिना जायेगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति राजस्थान विधान सभा की सदस्यता के आधार पर मंत्री या इस अधिनियम में यथा परिभाषित कोई अधिकारी या दोनों रहा हो।

स्पष्टीकरण II.- यदि पांच वर्ष की कालावधि समाप्त होने के पूर्व ही विधान सभा विघटित कर दी जाती है, तो विधान सभा के सदस्य के रूप में कालावधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आम चुनाव के पश्चात् विधान सभा गठित होने की तारीख से प्रारम्भ होकर उसका

विघटन होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि पांच वर्ष की कालावधि समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण III.- इस धारा के प्रयोजन के लिए वेतन के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन प्राप्त वेतन और निम्नलिखित के रूप में प्राप्त वेतन भी है:-

(i) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक; या

(ii) संसद् या किसी राज्य विधान-मण्डल का सदस्य; या

(iii) भारत सरकार या किसी राज्य का मंत्री या उपमंत्री; या

(iv) राज्य सभा, या किसी राज्य की विधान परिषद् का सभापति या उपसभापति; या

(v) लोक सभा, या किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष।

स्पष्टीकरण IV.- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय पेंशन की रकम संगणित करने में राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सहायता नियम, 1959 के अधीन या इसी विषय पर बनाये गये किन्हीं भी अन्य नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की रकम हिसाब में नहीं ली जायेगी।

स्पष्टीकरण V.- इस धारा के अधीन उस व्यक्ति के संबंध में पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, जो विधान सभा के लिए किसी उपचुनाव में निर्वाचित होता है, वर्षों की संगणना करने में, जिस तारीख को ऐसा व्यक्ति अपनी सदस्यता की शपथ लेता है उससे प्रारम्भ होने वाली और विधान सभा के विघटन की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि को पांच वर्ष समझा जायेगा।

(2) से (3) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

4-घ. भूतपूर्व सदस्यों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा.- प्रत्येक व्यक्ति जिसने राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में सेवा की है वह स्वयं के द्‌वारा या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किसी व्यक्ति सहित रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी वित्तीय वर्ष में पचास हजार रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी कि इस निमित्त बनाये गये नियमों द्‌वारा विहित की जायें, 1 अप्रेल, 2017 से किसी यात्रा के वास्तविक किराये का पुनर्भरण प्राप्त करने का हकदार होगा।

5. सरकारी मुख्य सचेतक तथा सरकारी उप मुख्य सचेतक के वेतन.- (1) 1 अप्रेल, 2017 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् पदभार सम्भाले, जो भी बाद में हो, सरकारी मुख्य सचेतक को पैंतालीस हजार रुपये प्रति मास और सरकारी उप मुख्य सचेतक को बयालीस हजार रुपये प्रति मास का वेतन संदत्त किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन संदेय वेतन के साथ-साथ सरकारी मुख्य सचेतक और सरकारी उप मुख्य सचेतक को 1 अप्रेल, 2017 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् पदभार सम्भाले, जो भी बाद में हो, सरकारी मुख्य सचेतक और सरकारी उप मुख्य सचेतक को पचास हजार रुपये प्रति मास सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिये "सरकारी मुख्य सचेतक" या "सरकारी उप मुख्य सचेतक" से राजस्थान विधानसभा का वह सदस्य अभिप्रेत है जो इस सभा में सर्वाधिक संख्या बल रखने वाले शासक दल का तत्समय, मुख्य सचेतक या उप मुख्य सचेतक है।

(3) xx xx xx xx xx

6. विपक्ष के नेता का वेतन और सत्कार भत्ता.- (1) विपक्ष के नेता को 1 अप्रेल, 2017 से या उस तारीख से जिसको वह उसके पश्चात् अपना पद ग्रहण करता है, जो भी बाद में हो, पैंतालीस हजार रुपये वेतन और पचास हजार रुपये सत्कार भत्ता प्रति मास संदत्त किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.- (i) इस अधिनियम में "विपक्ष का नेता" से राजस्थान विधानसभा का वह सदस्य अभिप्रेत है जो उस विधानसभा में, तत्समय, सरकार के विपक्ष के सर्वाधिक संख्या बल रखने वाले दल का और अध्यक्ष द्वारा उक्त रूपेण मान्यता प्राप्त, नेता है।

(ii) जहां सरकारी के विपक्ष में, समान संख्या बल रखने वाले दो या अधिक दल हों वहां अध्यक्ष, दलों की प्रास्थिति को ध्यान में रखते हुये, ऐसे दलों में से किसी भी एक नेता को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दे देगा और ऐसी मान्यता अन्तिम एवं निश्चायक होगी।

XX XX XX XX XX

8. सदस्यों के भत्ते.- (1) ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन जो विहित किये जायें, विधान सभा का प्रत्येक सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में अपनी उपस्थिति के लिए,-

(क) उस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार विहित दरों पर यात्रा भत्ता, और

(ख) राज्य के भीतर एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिदिन और राज्य के बाहर एक हजार सात सौ पचास रुपये प्रतिदिन की दर पर दैनिक भत्ता, इस बात के अध्यधीन रहते हुए कि ऐसा भत्ता सिवाय तब के जबकि विधान सभा सत्र में हो, ऐसी कालावधि के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा जो किसी एक कलेण्डर मास में पन्द्रह दिन से अधिक पड़ती हो,

प्राप्त करने का हकदार होगा:

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 188 के द्वारा विहित अपने पद की शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उसे हस्ताक्षरित करने से पहले, ऐसे किसी भी भत्ते के रूप में किसी सदस्य को किसी भी राशि का संदाय नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह भी कि जब तक खण्ड (क) के अधीन दरें विहित न की जायें तक तक विधान सभा के सदस्यों को इसके अधीन यात्रा भत्ता प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय दरों पर संदेय होगा।

(2) से (4) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

8-ख. सदस्यों को नि:शुल्क रेल यात्रा सुविधाएं.- (1) प्रत्येक व्यक्ति जिसने राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में सेवा की है वह स्वयं के द्वारा या तो अकेले या उसके साथ जाने वाले किसी व्यक्ति सहित रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी वित्तीय वर्ष में दो लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी कि इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जायें, किसी यात्रा के वास्तविक किराये का पुनर्भरण प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त पुनर्भरण की कुल रकम दो लाख रुपये से कम है वहां, दो लाख रुपये के पुनर्भरण की रकम से कम रह गई रकम आगामी वित्तीय वर्ष या वर्षों में अग्रनीत की जायेगी और वह सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय सदस्य के रूप में ऐसी रकम का उपयोग करने का हकदार होगा।

(3) जहां धारा 8 के अधीन यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार कोई सदस्य हवाई जहाज, पोत या सटीमर द्वारा यात्रा करना चाहे एवं उप-धारा (1) द्वारा दी गयी सुविधा के ऐसे भाग का अभ्यर्पण करने का, जो कि उसके द्वारा वास्तव में संदत्त किये गये हवाई जहाज, पोत या स्टीमर के किराये और उस रेल किराये के, जिसका कि वह उस धारा के अधीन हकदार है, अन्तर के समतुल्य होगा:

परन्तु रेल किराये के रूप में या हवाई जहाज, पोत या स्टीमर के किराये के संबंध में या हवाई जहाज, पोत या स्टीमर के किराये और रेल किराये के बीच में अन्तर के रूप में या उनमें किसी के भी रूप में संबंध में इस प्रकार संदत्त कुल रकम किसी एक वित्तीय वर्ष के भीतर दो लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनार्थ सदस्य में मंत्री वेतन अधिनियम 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं 43) में यथा परिभाषित मंत्री और इस अधिनियम में यथा परिभाषित राज्य विधानसभा का अधिकारी भी सम्मिलित होगा।

8-ग. निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता.- (1) सदस्य प्रतिमाह पचास हजार रुपये का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

9. सुविधाएं.- (1) विधान सभा का प्रत्येक सदस्य अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये ऐसी चिकित्सा सुविधाओं और ऐसी आवास सुविधाओं का हकदार होगा जो विहित की जायें।

स्पष्टीकरण.- उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ आवास-सुविधा में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

(i) से (ii-ख) XX XX XX XX XX

(iii) जयपुर में सरकारी वास-सुविधा या अपनी या किराये पर ली गयी वास-सुविधा में निवास करने वाले सदस्यों को 1 अप्रेल, 2012 से या ऐसी वास-सुविधा के अधिभोग की तारीख से, जो भी बाद में हो, अस्सी हजार रुपये मूल्य के फर्नीचर का नि:शुल्क प्रदाय।

(2) और (3) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

(शांति कुमार धारीवाल, **प्रभारी मंत्री**)

<u>Bill No. 24 of 2019</u>

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) BILL, 2019

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRAMIL KUMAR MATHUR,
Secretary.

(Shanti Kumar Dhariwal, **Minister-Incharge**)